

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- 1922/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17 नवम्बर, 2021।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद- पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता 4X3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु यूजेवीएन लिमिटेड को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ:- उपमहानीरीक्षक, वन (के) पर्यावरण, वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के फाईल संख्या 8बी/यू.सी.पी./01/105/2019/एफ0 सी0/814 दिनांक 30.09.2021।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उच्च स्तर से लगाई गयी आपत्तियों के कम में प्रस्तावक विभाग का स्पष्टीकरण निम्नवत् है।

क्रमांक	लगाई गई आपत्ति,	निस्तारण
1-	प्रस्ताव से सम्बन्धित मलवा निस्तारण योजना प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिसमें कुल मलवा निस्तारण, उसका उपयोग तथा शेष मलवा निस्तारण की सम्पूर्ण जानकारी हो। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित quarry site पर मलवा निस्तारण मान्य नहीं है। अतः राज्य सरकार उक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित मलवा निस्तारण योजना इस कार्यालय में प्रेषित करें।	0.2 हेक्टर (50 मी0 X 40 मी0) वन भूमि पर प्रस्तावित quarry site का उपयोग उक्त स्थल पर उपलब्ध शिथिल boulders के चुगान के लिए किया जायेगा। Quarry site से उठाये गये boulders का उपयोग स्टोन मेशनरी एवं gabbions के निर्माण पर होगा। परियोजना के water conductor system में आर0सी0सी0 पावर चैनल के स्थान पर एम0एस0 पाईप के द्वारा नहर का निर्माण प्रस्तावित है। अतः अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं की तुलना में परियोजना में course and fine aggregate की आवश्यकता निर्माण कार्यों में काफी कम होगी। प्रस्तावित quarry site पर कशर स्थापित नहीं किया जायेगा एवं वोल्डर्स के चुगान हेतु मैकेनिकल इक्यूपमेन्ट्स का भी उपयोग नहीं किया जायेगा जिससे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। अतः quarry site closure plan की आवश्यकता नहीं है। Boulders के चुगान के उपरान्त उक्त स्थल पर 4.5 मी0 ऊंचाई के gabbions का निर्माण कर अवशेष 4463.00 m ³ मलवे का निस्तारण किया जायेगा साथ ही भूमि समतलीकरण कर पुनः वन विभाग को हस्तान्तरित की जायेगी।
2-	प्रस्ताव परियोजना के administrative approval के सम्बन्ध में स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत किय जायें।	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्रांक संख्या 1689 /नौ-3-ऊ/2002 दिनांक 02.नवम्बर, 2002 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड को निर्माण हेतु परियोजना आवंटित की गयी थी। प्रारम्भ में परियोजना की क्षमता का आंकलन प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (Preliminary Feasibility Report) के आधार पर किया गया था जिसमें परियोजना की क्षमता 7.8 मेगावाट आंकी गयी थी। तत्पश्चात् परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण, उपलब्ध जल स्राव, डिजाईन व मशीनों की क्षमता इत्यादि की गणना के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Projects Report) तैयार कर परियोजना की क्षमता का निर्धारण किया गया। विस्तृत Hydrological अध्ययन के उपरान्त परियोजना की क्षमता को 7.8 मेगावाट से बढ़ाकर 12 मेगावाट की गयी। परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 यूजेवीएन लिमिटेड के BoD द्वारा अनुमोदित की गयी है। यूजेवीएन लिमिटेड के BoD के अध्यक्ष

	<p>सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड सरकार है एवं प्रबन्ध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड एवं पूर्णकालिक निदेशक सदस्य है। जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य में (उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित) यूजेवीएन लिमिटेड नोडल एजेन्सी है। निदेशक मण्डल द्वारा परियोजना की डी०पी०आर० की स्वीकृति ही परियोजना की administrative approval है। (प्रति संलग्न)।</p>
--	---

संलग्न :- यथोक्त



भवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।